राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) जैसलमेर

क्रमांक : रसद / विज्ञप्ति / उ.मू.दु.आवंटन / 2026 / 479   5/6/2026

: : विज्ञप्ति : :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए, जिला जैसलमेर में ''राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्यआवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976'' के तहत इस आदेश से संलग्न सूची में इंगित कुल 48 (10 नवसृजित एवं 38 रिक्त) उचित मूल्य की दुकानों के स्थान/केन्द्र, जिनका पूर्ण विवरण इस आदेश के साथ संलग्न सूची पर है, के आवंटन हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते है। उक्त उल्लेखित उचित मूल्य की दुकानों का तहसीलवार/क्षेत्रवार संक्षिप्त विवरण निम्न है :–

क्र.सं.	तहसील	रिक्त उचित मूल्य की दुकानों की संख्या
01	जैसलमेर शहर	05
02	पोकरण शहर	02
03	जेसलमेर (ग्रामीण)	07
04	सम	09
05	फतेहगढ़	07
06	पोकरण (ग्रामीण)	09
07	भणियाणा	06
08	फलसूण्ड	03
	कुल दुकाने	48

1. **आवेदन फॉर्म भरने की समय–सीमा, आवेदन शुल्क एवं जमा करने की प्रक्रिया :**
   (1) **आवेदन आरम्भ होने की तिथि : 8 जून 2026**
   (2) **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि/समय : 23/6/2026 (शाम 6 बजे तक)**
   (3) आवेदन पत्र का शुल्क रूपये 100 है जो अप्रतिदेय रहेगा। जिला रसद कार्यालय, जैसलमेर में निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) जमा करवाकर प्राप्त किया जायेगा। अन्य किसी स्त्रोत/स्थान से प्राप्त आवेद पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
   (4) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ उक्त अंतिम तिथि/समय तक जिला रसद कार्यालय में जमा कराना अभिवार्य है।
   (5) आवेदन जारी करने का कार्य और जमा करने का कार्य राजकीय कार्य दिवसों (राजकीय अवकाश छोड़ कर) में कार्यालय समय में किया जायेगा। नियत अवधि और समय के बाद आवेदन नहीं लिए जायेंगे।

2. **महत्वपूर्ण जानकारी**
   (1) नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17 (1) खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 और उसके बाद जारी हुए सभी आदेशों, परिपत्रों और पत्रों के नियमों के तहत की जाएगी। इस बारे में ज्यादा जानकारी जिला रसद कार्यालय जैसलमेर में कार्यालय समय के दौरान देखी जा सकती है। यह आदेश विभाग की वेबसाईट https://food.rajasthan.gov.in/orders.aspx पर भी उपलब्ध है।
   (2) नियुक्ति प्रक्रिया की समस्त कार्यवाही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 और इसकी निरंतरता में जारी आदेश, परिपत्र ओर पत्रों में दर्ज प्रावधानों के अधीन रहेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय , जैसलमेर में आमजन के अवलोकन के लिए कर्यालय समय में उपलब्ध है। उक्त आदेश दिनांक 17.03.2016 विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
   (3) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधानों में जिला जैसलमेर के लिए केवल 30 प्रतिशत महिला क्षैतिज आरक्षण है, जिसके लिए पारदर्शिता में लाटरी ड्रा आयोजित करते हुए स्थान निर्धारित किये जा कर केन्द्र के सम्मुख आरक्षित और अनारक्षित इंगित किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार जिला जैसलमेर में

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति या अन्य किसी वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान नहीं है।

(4) महिला क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था से पात्रता की पूर्व में विहित अन्य किसी शर्त में कोई छूट देय नहींहोगी। महिलाओं द्वारा अनारक्षित वर्ग के स्थानों के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा।

(5) महिला क्षैतिज आरक्षण की आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही सीटों के लिए, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवेदकों का चयन वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा। यह वरीयता क्रम दिनांक 17.03.2016 के आदेश के बिंदु संख्या 5 के अनुसार होगा।

(6) सफल अभ्यर्थी को "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत 60 वर्ष की उम्र तक के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दुकान के मापदण्ड पूर्ण करने होंगे और कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

(7) सफल अभ्यर्थी को उचित मूल्य दुकान का परिसर, रिक्त दुकान का निर्धारित वितरण क्षेत्र के मध्य में स्थापित करनी होगी। दुकान ग्राहकों की आसान पहुँच में होनी चाहिए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर (215 वर्ग फीट) हो, और छत व फर्श की ऊंचाई 11 फीट होनी चाहिए। परिसर मीटरेबल रोड (न्यूनतम 30 फीट चौड़ी) पर स्थित होना चाहिए। दुकान का ढ़ांचा पक्का होना चाहिए, जिसमें नमी या सीलन न हो और वह वेल्डिंग, मांस या शराब की दुकानों जैसी जगहों से सुरक्षित दूरी पर हो। दुकान का दरवाजा रोलिंग शटर युक्त अथवा बड़ा दरवाजा युक्त होना आवश्यक होगा।

(8) इस विज्ञप्ति के अधीन प्रकाशित उचित मूल्य दुकानों के रिक्त स्थान की सभी रिक्तियों को निरस्त करने या किसी भी केन्द्र की रिक्ति को निरस्त करने/केन्द्र परिवर्तन के समस्त अधिकारी जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित है।

3. उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अहर्ताएं :

(1) **निवासः** शहरी क्षेत्र की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के लिए दुकान की रिक्त घोषित है। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक का उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है।

(2) **आयुः** 21 से 45 वर्ष (आवेदक की उम्र आवेदन की अंतिम तिथि को 21 से कम और 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए)

(3) **शैक्षणिक योग्यता** : स्नातक व आकेसीएल से आरएससीआईटी का 03 माह का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण नहीं हो तो अधिकतम 08 माह की अवधि में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने का घोषणा पत्र देना होगा। आवेदक समितियां/समूह/निकाय होने की स्थिति में, प्रबन्धक/सचिव को शैक्षणिक योग्यता व कम्प्यूटर दक्ष (आरएससीआईटी) पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

(4) **वित्तीय** : (i) आवेदक के पास संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 1,00,000/- रूपये का हेसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि **अचल संपति के आधार पर जारी हुआ हो।** दो वर्ष से अधिक पुरानी अवधि का हैसियत प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। बैंक की एफडी के आधार परजारी हैसियम प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(ii) महिला स्वयं सहायता समूह के लिए, कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की सिफारिश के साथ-साथ समूह की न्यूनतम वित्तीय हैसियत 25,000 रूपये होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। इस अनुभव का आकलन करने के लिए तीन मुख्य आधार हैः पहला, समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पहले हुआ हो, दूसरा, समूह का बैंक खाता कम से कम तीन वर्ष पूर्व खुला हो; और तीसरा, समूह के सदस्य पिछले तीन वर्षों से नियमित रूप से आंतरिक लेन-देन में संलग्न हो।

(iii) सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत समिति, को हैसियत प्रमाण पत्र के साथ पर समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध में उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय वर्ष व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेंट की प्रति मय सहायक पंजीयक/उपपंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 1,00,000/- रूपये

है और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ऑडिट रिपोर्ट) में गंभीर अनियमितता नहीं है।

(5) रिक्तियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। महिला क्षैतिज आरक्षण व्यवस्था से पात्रता की पूर्व में विहित अन्य किसी शर्त में कोई छूट देय नहीं होगी। महिलाओं द्वारा अनारक्षित वर्ग के स्थानों के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा।

4. **अपात्रताएं –**

(1) आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तहत किसी न्यायालय से दण्डित हो या विधिक रूप से अयोग्य घोषित हो, दिवालिया घोषित हो, ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और करावास की सजा प्राप्त हो।

(2) आवेदक रोजगार (सार्वजनिक/निजी सेवा/व्यवसाय आदि) धारक हो।

(3) आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य, जैसे माता, पिता, संतान, जीवनसाथी, या परिवार के राशन कार्ड में दर्ज किसी भी अन्य सदस्य के नाम से पहले से कोई आवंटन हो।

(4) आवेदक की दिनांक 01.01.2015 के बाददोसे अधिक संतान हो।

(5) आवेदक संस्था यथा जीएसएसएस/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक समिति और महिला स्वयं सहायता समूह, जिनके पास पहले से ही प्राधिकार पत्र है, एक से अधिक प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

(6) आवेदक के निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय नहीं होना।

(7) आवेदन पत्र अधूरा होने या उक्त अपात्रता नहीं लागू होने का घोषणा पत्र नहीं दियाहो या आवश्यक दस्तावेजों की कमी होने पर भी आवेदन अपात्र माना जाएगा।

(8) यह प्रमाणित होता है कि आवेदक रोजगारधारी है या उक्त किसी अपात्रता मानदंड में आता है, तो उसके आवेदन को रद्द करने, तथा यदि आवंटनहो गया है तो निरस्त/रद्द किया जायेगा।

5. उक्त उचित मूल्य की दुकानों की संख्या राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी।

उक्त विज्ञापित उचित मूल्य दुकानों के संबंध में कोई व्यथित व्यक्ति इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 15 दिवस में लिखित आवेदन के साथ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगा। आपत्ति पर गुणवगुण के आधार पर सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा।

संलग्न – उक्तानुसार

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर (रसद)
जैसलमेर

क्रमांक : सम/ 480-503 दिनांक :– 5/6/2026

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित् है :–

1. श्रीमान् निजी सचिव प्रमुख, शासन सचिव महोदय, खाद्य एवं नागकि आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग जोधपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान् उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, डीओआईटी, खाद्य विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्रीमान् सांसद महोदय, जोधपुर/बाड़मेर।
7. श्रीमान् विधायक महोदय, जैसलमेर/पोकरण।
8. श्रीमान् जिला प्रमुख, जैसलमेर
9. श्रीमान् सभापति महोदय, नगरपरिषद् जैसलमेर/अध्यक्ष, नगरपालिका, पोकरण।
10. निजि सचिव, जिला कलक्टर, जैसलमेर।

11. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, समस्त जिला जैसलमेर।
12. आयुक्त, नगर परिषद् जैसलमेर/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पोकरण।
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला जैसलमेर।
14. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जैसलमेर।
15. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जैसलमेर।
16. एसीपी, सूचना एवं तकनीकी विभाग, जैसलमेर को जिले की वेबसाईड पर अपलोड करने बाबत्।
17. जनसम्पर्क अधिकारी, जैसलमेर को जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
18. सरपंच, ग्राम पंचायत ....
19. प्रबंधक नागरिक आपूर्ति, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जैसलमेर
20. प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक, जैसलमेर/पोकरण/भणियाणा/फतेहगढ़।
21. सदस्य समस्त, उचित मूल्य दुकानदार आवंटन सलाहकार समिति।
22. अन्य
23. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
जैसलमेर

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) जैसलमेर

वर्ष 2026 में जिला जैसलमेर में विज्ञापित रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के स्थान/केन्द्र की सूची

क्र. सं.	तहसील/नगर परिषद्	वार्ड नम्बर	एफपीएस केन्द्र	रिक्त एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	जैसलमेर शहर	वार्ड नं. 20	आईजीएनपी कॉलोनी, यूनियन चौराहा,	26998	महिला आरक्षित
2	जैसलमेर शहर	वार्ड नं. 19	राणीसर कॉलोनी	26952	महिला आरक्षित
3	जैसलमेर शहर	वार्ड नं. 05	तालरिया पाडा	26981	अनारक्षित
4	जैसलमेर शहर	वार्ड नं. 03	कंधारी पाड़ा	26951	अनारक्षित
5	जैसलमेर शहर	वार्ड नं. 11	गांधी कॉलोनी	26987	अनारक्षित

क्र. सं.	तहसील/नगर परिषद्	वार्ड नम्बर	एफपीएस केन्द्र	रिक्त एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	पोकरण शहर	वार्ड नं. 5, 11	मालीयों का वास	16703	अनारक्षित
2	पोकरण शहर	वार्ड नं. 14	भवानीपुरा	16759	अनारक्षित

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	एफपीएस केन्द्र	रिक्त एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	जैसलमेर	चांधन	सांवला	7628	महिला आरक्षित
2	जैसलमेर	बासनपीर जूनी	बासनपीर जूनी	23420	महिला आरक्षित
3	जैसलमेर	आकल	आकल	23435	अनारक्षित
4	जैसलमेर	हमीरा	हमीरा	23438	अनारक्षित
5	जैसलमेर	भू	पोल जी की डेहरी	23424	अनारक्षित
6	जैलसमेर	पिथला	पिथला	23471	अनारक्षित
7	जैसलमेर	रामगढ	नेतसी	**नवसृजित**	महिला आरक्षित

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	एफपीएस केन्द्र	रिक्त एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	सम	कनोई	केशुओ की बस्ती	23594	अनारक्षित
2	सम	बांधा	बांधा	11220	अनारक्षित
3	सम	फलेड़ी	कोरिया	23565	महिला आरक्षित
4	सम	म्याजलार	म्याजलार	23615	महिला आरक्षित
5	सम	शाहगढ	शाहगढ़	23640	अनारक्षित
6	सम	सम	सम	23634	अनारक्षित
7	सम	सियाम्बर	तिबनसर	27669	महिला आरक्षित
8	सम	हरनाऊ	राबलाउ फकीरो वाला	7654	अनारक्षित
9	सम	सम	रोजाणियों की बस्ती	**नवसृजित**	महिला आरक्षित

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	एफपीएस केन्द्र	रिक्त एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	फतेहगढ	रासला	मेहराजोत	23629	महिला आरक्षित
2	फतेहगढ	झिझनियाली	झिनझिनयाली(गुडडा)	23593	अनारक्षित
3	फतेहगढ	दवाड़ा	दवाड़ा	23613	महिला आरक्षित
4	फतेहगढ	पाबनसर	सांढा	14050	अनारक्षित
5	फतेहगढ़	देवीकोट	देवीकोट	23581	महिला आरक्षित
6	फतेहगढ़	देवड़ा	कोठा	**नवसृजित**	अनारक्षित
7	फतेहगढ़	फतेहगढ़	नाइयों का वास	**नवसृजित**	अनारक्षित

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	एफपीएस केन्द्र	रिक्त एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	पोकरण	नाचना	नाचना	23458	अनारक्षित
2	पोकरण	पांचे का तला	पांचे का तला	23464	अनारक्षित
3	पोकरण	ओडाणियां	चानणी	23513	अनारक्षित
4	पोकरण	नेडान	केरालिया	23531	अनारक्षित
5	पोकरण	नानणियाई	नानणियाई	23529	अनारक्षित
6	पोकरण	लोहारकी	लोहारकी	23521	महिला आरक्षित
7	पोकरण	बड़ली चारण	बड़ली माण्डा	23555	महिला आरक्षित
8	पोकरण	ओढाणिया	ओढाणिया	23514	महिला आरक्षित
9	पोकरण	सांकड़ा	भोमसर	**नवसृजित**	अनारक्षित

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	एफपीएस केन्द्र	रिक्त एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	भणियाणा	झाबरा	झाबरा	23504	अनारक्षित
2	भणियाणा	सरदार सिंह की ढाणी	भगवतीपूरा	11271	महिला आरक्षित
3	भणियाणा	सरदार सिंह की ढाणी	सरदार सिंह की ढाणी	23550	महिला आरक्षित
4	भणियाणा	बागथल	बागथल	**नवसृजित**	अनारक्षित
5	भणियाणा	इन्द्रानगर	इन्द्रानगर	**नवसृजित**	महिला आरक्षित
6	भणियाणा	शिवनाथ सिंह नगर	शिवनाथ सिंह नगर	**नवसृजित**	अनारक्षित

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत	एफपीएस केन्द्र	रिक्त एफपीएस कोड	महिला आरक्षित/अनारक्षित
1	फलसूण्ड	दांतल	झालोडा भाटियाण	23499	अनारक्षित
2	फलसूण्ड	राजमथाई	राजमथाई नई	**नवसृजित**	अनारक्षित
3	फलसूण्ड	धौलासर	धौलासर	**नवसृजित**	अनारक्षित